



कंपनी अधिनियम में संशोधन

प्रलिस के लयः

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी लॉ कमेटी (CLC) ।

मेन्स के लयः

कंपनी अधिनियम में प्रस्तावत संशोधन ।

चर्चा में क्यों?

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में **कंपनी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावत करने पर** वचार कया जा रहा है ।

- मंत्रालय को **कंपनी लॉ कमेटी** द्वारा की गई इन सफारशों पर वशषज्जों तथा पेशवरों से प्रतकरया प्राप्त हुई है, जसने **अप्रैल 2022** में अपनी रपॉर्ट वतत और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री को सौपी थी ।

प्रमुख प्रस्तावः

- इससे कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रतबंध बढने की उम्मीद है, वशष रूप से बोर्ड पदों के लयि भरती और लेखा परीक्षकों एवं शीर्ष अधकारयों के इस्तीफे से संबंधत मामलों को संभालने के लयि ।
- इसके प्रमुख प्रस्तावों में यह सुनश्चित करने का प्रयास कया गया है कः स्वतंत्र नदशक वास्तव में स्वतंत्र हों और कंपनयिधैधानकः लेखा परीक्षकों द्वारा वततीय ववरणों पर प्रतकूल टपिणी या योग्यता या यहाँ तक कः अपने लेखा-परीक्षा को छोडने के कारणों के बारे में अधिकः पारदर्शी हों ।
- यह कुछ प्रकार की कंपनयों के लयि अनवार्य संयुक्त ऑडट सहतः कानून में कई बदलाव करके वैधानकः लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है ।
- कंपनी अधिनियम में प्रस्तावतः परवर्तनों का उद्देश्य सुशासन के पथ-प्रदर्शकों को मजबूत करना है, स्वतंत्र नदशकों और लेखा परीक्षकों ने कंपनी के मामलों में अधिकः पारदर्शता का संचार कया है तथा कंपनयों को **व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business)** में सुधार के प्रयासों के तहत आंशकः शेर और रयायती शेर जारी करने की अनुमता दी है ।
 - कंपनी अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रतबंधतः आंशकः शेरों का मुद्दा खुदरा नवशकों को उच्च मूल्य वाले शेरों तक पहुँचने में मदद करेगा, जबकः रयायती शेर संकट में एक कंपनी को ऋण को इक्वटी में बदलने की अनुमता देगा ।
- कॉरपोरेट क्षेत्र में कुछ दवालया कंपनयों, वशष रूप से बड़ी गैर-बैंक वततीय कंपनयों, जन्होंने पछले कुछ समय में गंभीर वततीय कठनाइयों का सामना कया है, ने सरकार को इनमें से कुछ परवर्तनों पर वचार करने के लयि प्रेरतः कया है ।

भारतीय कंपनी अधिनियमः

- भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जसने वर्ष 1956 में अधिनियमतः कया गया था । यह कंपनयों को पंजीकरण द्वारा गठतः करने में सक्षम बनाता है, कंपनयों, उनके कार्यकारी नदशक और सचवियों की ज़म्मेदारयों को नरधारतः करता है ।
- वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन कया और एक नया अधिनियम जोड़ा जसने भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 कहा गया ।
 - कंपनी अधिनियम, 1956 को आंशकः रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतस्थापतः कया गया था ।
 - यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह सतंबर 2013 में लागू हुआ ।
- वर्ष 2020 में भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम में और संशोधन करने तथा वभिन्न अपराधों को कम करने के साथ-साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लयि कंपनी (संशोधन) वधयक, 2020 पारतः कया ।
 - प्रस्तावतः परवर्तनों में कुछ अपराधों के लयि दंड में कमी के साथ-साथ अधकारों के मुद्दों के संदर्भ में समयसीमा **कॉरपोरेट सामाजकः ज़म्मेदारी (सीएसआर)** अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलय नयायाधकरण (एनसीएलएटी)** में अलग

बेंच की स्थापना भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताएँ:

- यह कंपनी के नगिन, कंपनी की ज़मिमेदारियों, नदिशकों और कंपनी के वधिटन को नयित्तरति करता है।
- इसे 29 अध्यायों में वभिजति कयिा गया है जसिमें पूरव कंपनी अधिनियम, 1956 में 658 धाराओं की तुलना में 470 धाराएँ हैं और इसमें 7 अनुसूचयिँ हैं।
- इसमें अधकितम 200 सदस्य हैं, पहले नजीी कंपनयिँ में सदस्यों की अधकितम संख्या 50 थी।
- इस अधिनियम में 'एक वयक्तीकंपनी' (One Person Company) नया शब्द शामिल कयिा गया है।

स्रोत: मटि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amendments-to-the-companies-act>

